महात्मा गांधी एवं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के स्त्री विषयक दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा
के अन्तर्गत इतिहास विषय (सामाजिक विज्ञान संकाय) में
पी–एच.डी. उपाधि हेतु उपस्थापित
शोध–प्रारूप

गवेषक

गौतम कुमार

PAT - 2022

क्रमांक – E2210016

वर्ग क्रमांक – 03

1. शोध समस्या का शीर्षक :

महात्मा गांधी एवं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के स्त्री विषयक दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन

2. भूमिका :

भारतीय इतिहास में महात्मा गाँधी एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम स्वर्णाक्षर में अंकित है। दोनों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारत के नवनिर्माण में काफी योगदान दिया है। दोनों के ही विचारों में कुछ मुद्दों पर समानता एवं कुछ मुद्दों पर असमानता रही है। महात्मा गांधी एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर दोनो ंही स्त्री–पुरूष के बराबी के समर्थक थे। वे महिलाओं को किसी भी रूप में पुरूषों से कमतर नहीं मानते थे। गांधी जी का कहना था कि स्त्री अबला नहीं है। यदि वह अपनी शक्ति जान जाए तो वह पुरूष से भी अधिक ताकतवर है। स्त्री में छिपी अपार शक्ति उसकी विद्वता या शारीरिक बल से नहीं है, वरन् उसके अन्दर छिपी श्रद्धा, त्याग की शक्ति है। स्त्री के प्रति भेदभाव के गांधी जी विरोधी थे। उनके अनुसार स्त्री भी पुरूष के समान ही स्वतंत्रता की अधिकारी है। उनका मत था कि स्त्री को अपने जीवन के संबंध में निर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिए। उनका निर्णय सबके हित में हो, इसके लिए उन्हें शिक्षित बनाना चाहिए। वे पर्दा–प्रथा के विरोधी थे। भारत में सर्वाधिक शोषण, अन्याय प्रताड़ना, अत्याचार और दुःख स्त्री ने ही सहे हैं। भारत में प्रताड़ित होना, अन्याय सहना ही स्त्री की नियति रही है। अंधविश्वास, अत्याचार, रूढ़िगत स्त्री की दशा सुधारने में गांधी जी के प्रयास बहुमूल्य है। पीड़ित नारी को

सार्वजनिक क्षेत्र तक पहुँचाने की दिशा दिखाने में गांधी जी की देन असाधारण है। गांधी जी ने स्त्री को संकोच, लज्जा एवं भय से निकालने की नयी विचारधारा दी। दबाव में जीने वाली नारी को नयी जीवन शक्ति दी। इनका कहना था कि ''स्त्री पुरूष की सहगामिनी है, उसे भी समानता का अधिकार है।''

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का स्त्री विषयक चिंतन महत्त्वपूर्ण ही नहीं प्रासंगिक है। उनका मानना था कि पुरूषवादी विचार व चिंतन ने आधे मानव–जाति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सिर्फ बाधा ही नहीं बल्कि उन वंचित मानव की प्रतिभा को कुंठित भी किया है। जिससे संपूर्ण मानव समाज को हानि पहुँच रहा है। डॉ. अम्बेडकर संभवतः प्रथम ऐसे भारतीय सामाजिक चिंतक हुए, जिन्होंने महिलाओं की समस्या को लैंगिक दृष्टिकोण स समझने का प्रयास किया। उनक स्त्रीवादी दृष्टिकोण के केन्द्र में भारतीय समाज की सभी स्त्रियाँ थीं। भारतीय संदर्भ में जब भी सामाजिक–सांस्कृतिक एवं राजनीतिक असमानताओं और उसमें सुधारने के मुद्दे पर विचार हो रहा हो तो डॉ. अम्बेडकर के विचारों को शामिल किए बना बात पूरी नहीं हो सकती। उनका पूरा जीवन भारतीय समाज के रूढ़िवाद और अंधविश्वास पर आधारित संकीर्णताओं और विकृतियों को दूर करने पर ही विकेंद्रित रहा। डॉ. अम्बेडकर के भारतीय स्त्रीवादी दृष्टिकोण की वैचारिकी का केन्द्र ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था और समाज में व्याप्त परंपरागत धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ ही थीं। जो स्त्रियों को पुरूषों के अधीन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती रही है।

गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी के पूर्ण पक्षधर थे। वे स्त्रियों की सभाओं में अपने भाषण में आंदोलन में उनकी भागीदारी अनिवार्य बताते थे और साथ ही उन्हें यह कहकर प्रेरित करते थे – देवियों और वीरांगनाओं की तरह आंदोलन में उनकी अपनी अलग भूमिका है और उनमें इस भूमिका को निभाने की शक्ति और हिम्मत ह। उन्होंने स्त्रियों को विश्वास दिलाया कि आंदोलन को उनकी महत्त्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता है। वे कहते थे कि जब महिलाएँ सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होंगी तभी पुरूष आंदोलन में पूरा योगदान दे पायेंगे। अपने मध्यमवर्गीय अनुयायियों को उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 85 प्रतिशत भारतीय स्त्रियाँ निर्धनता और अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है। उन्होंने महिला नेत्रियों से कहा कि उन्हें सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा वं महिला अधिकारों के लिए कानून बनाने का काम करना चाहिए ताकि उन्हें अपने बुनियादी अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि महिला नेत्रियों को सीता, द्रौपदी और दमयंती की तरह सात्विक, दृढ़ और नियंत्रित होना चाहिए तभी वह स्त्रियों के भीतर पुरूषों के साथ बराबरी का भाव जगा सकेंगी तथा अपने अधिकारों के प्रति सचेत तथा स्वतंत्रता के प्रति जाग्रत कर सकेंगी। साथ ही मुक्ति का रास्ता दिखाते हुए उनके अपने क्षेत्र में उनको शीर्ष स्थान दिला सकेंगी।

डॉ. अम्बेडकर ने स्त्रियों के सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया चाहे वह किसी बुरे काम में या व्यवसाय जैसे देह व्यापार में क्यों न लगी हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामाथीपुरम में देखने को मिला। डेविड नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक वेश्यालय में

मध्यस्थता का काम करता था उसने अपना व्यवसाय डॉ. अम्बेडकर के विचार एवं शिक्षाओं से प्रभावित होकर छोड़ दिया। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, मनुस्मृति में मनु ने न केवल स्त्रियों को तिरस्कृत किया बल्कि उन्हें गुलामों एवं बुद्धिहोन की तरह अपमानित भी किया। उन्हें शिक्षा के अधिकार एवं संपत्ति के अधिकार से वंचित रख तथा उन्हें बलिदान करने की प्रथा से अछूता रखा। भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं संविधान सभा के प्रलेखन समिति (प्रारूप) के अध्यक्ष रहते हुए, डॉ. अम्बेडकर ने अपने कर्त्तव्य मनु द्वारा बनाए गए हिन्दू समाज के कानून में सुधार करके महिलाओं को सदियों की दासता से मुक्त करना चाहा। इसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया एवं संविधान सभा में हिंदू कोड विधेयक प्रस्तुत किया। डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक शब्दकोश एवं भारत के संविधान में स्त्रियों के अधिकार को पूरी तरह से समाहित करने का अथक प्रयास किया। अनुच्छेद 14, राजनीतिक, आर्थिक वं सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार एवं समान अवसर, अनुच्छेद 15 लिंग के अधार पर भेदभाव पर रोक, अनुच्छेद 35 स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध को निवारित न करना, अनुच्छेद 42 मानवीय परिस्थिति एवं मातृलाभ, अनुच्छेद 51 (क) – (स) – ऐसी प्रथाओं का त्याग करने को कहतस है जो स्त्रियों के समानता के विरूद्ध हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दुत्व उत्तराधिकार अधियिम 1956 और हिन्दू अल्पसंख्यक एवं संरक्षण अधिनियम 1956 अध्यादेश लाया गया जिसमें डॉ. अम्बेडकर द्वारा सूत्रबद्ध किए गए हिन्दू कोड विधेयक के विचार एवं सिद्धांतों को समाहित किया गया। इस अधिनियम ने महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान की एवं उन्हें अंगीकरण, उत्तराधिकार

एवं संपत्ति के अधिकार से सुशोभित किया जो मनु द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए यह स्वयंसिद्ध है कि डॉ. अम्बेदकर के प्रयासों के कारण हिन्दू समाज के कानून का बडा हिस्सा आधुनिक पश्चिमी देशों में मौजूद कानूनी व्यवस्था के समतुल्य है। डॉ. अम्बेडकर की शिक्षाएँ एवं विचार न केवल स्त्रियो ंके लिए वरन् सम्पूर्ण समाज के लिए लाभदायक थीं। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी गहरी चिंता एवं भावनाएँ प्रत्येक वाक्य एवं शब्द में झलकती है। सदन में उनके अंतिम भाषण में स्त्रियो ंके लिए उनकी भावनाओं एवं सम्मान को भली–भांति समझा जा सकता है।

गांधीजी का स्त्री जागरण की दिशा में सहयोग असाधरण था। उनके चिंतन, विचारों एवं शैली ने अंधविश्वास एवं रूढ़िग्रस्त स्त्री को नई दिशा दी, सामाजिक प्रेरणा दी। नारी–पुरूष समानता का विचार देकर समाज को क नई दिशा दी। उन्होंने पर्दे में जकड़ी भारतीय नारी को स्वतंत्रता आंदोलन की सहभागी बनाया। उन्होंने नारी को घर की चौखट से बाहर पुरूषों के बराबर की मान्यता दिलायी। साथ ही नारी को स्वतंत्र चिंतन दिया तथा राष्ट्रहित में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। भारतीय नारी के जिस आदर्श को गांधीजी ने रखा, वह वैदिक आदर्श है। गांधी दर्शन में स्त्री गौरवशाली, सम्मानीय स्वतंत्र एवं समानता की अधिकारी है। इस प्रकार भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा का सुधारने में महात्मा गांधी एवं डॉ. भीमराव अम्बेदकर दोनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आज महिला सशक्तिकरण का जो स्वरूप देखने में आ रहा है उसके पीछे दोनों ही चिंतकों का योगदान रहा है। भले ही दोनों चिंतकों के वैचारिकी में

भेद रहा हो, परन्तु स्त्री विषयक पर दोनों के दृष्टिकोण समान थे। प्रस्तुत शोध में महात्मागांधी एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर के स्त्री विषयक दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा।

3. संबंधित साहित्य का अध्ययन :

प्रस्तुत शोध विषय से संबंधित पुस्तकों में महात्मा गांधी एवं डॉ. अम्बेडकर के लिखित ग्रन्थ, आलेख एवं भाषणों का उपयोग किया जाएगा, साथ ही गांधी जीवन और दर्शन (2008) जो श्रीमती वन्दना सक्सेना द्वारा रचित है, उपयोगी सिद्ध हो सकती है। साथ ही गोपा जोशी की पुस्तक 'भारत में स्त्री असमानता 2006, डॉ0 कमला गुप्ता की पुस्तक भारतीय नारी (प्रारंभ से 2000 ई0 तक) (2012) श्रीकान्त यादव की पुस्तक 'स्त्री अलक्षित (2018), देवेन्द्र कुमार शरण की पुस्तक 'नारी सशक्तिकरण का इतिहास (2012) आदि पुस्तकों में गांधीजी तथा अम्बेडकर के स्त्री विषयक संबंधी विचार यत्र–तत्र देखे जा सकते हैं। वहीं डा. भीमराव अम्बेडकर की 125 वीं जयन्ती पर एक विशेषांक मणिकांचन (पत्रिका) जो एमएमटीसी लिमिटेड, राजभाषा प्रभाग, कॉरपोरेट कार्यालाय नई दिल्ली से प्रकाशित है, काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसके अलावे अम्बेडकर वाङमय भाग–14, डॉ. भीमराव अम्बेडकर 'हिज लाइफ एंड वर्क, अम्बेडकर वर्क्स एंड मिशन, मैनस्ट्रीम साप्ताहिक (12–4–2008) आदि प्रस्तुत शोध के संपादन में सहायक सिद्ध हो सकता है।

श्रीमती वन्दना सक्सेना ने अपनी पुस्तक गांधी जीवन और दर्शन में दर्शाया है कि गांधी जी स्त्री के संबंध में अपने विचारों से समाज

को एक नई दिशा प्रदान करना चाहते थे। स्त्री की दशा समुन्नत बनाने हेतु उन्होंने कई विचार रखे एवं प्रयास किए, जिनसे स्त्री को मार्गदर्शन मिलता है। गांधी जी का सारा चिंतन व दर्शन नारो की दशा सुधारकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना से जुड़ा है। गांधी जी ने हमेशा उन रूढ़ियों, अंधविश्वासों का विरोध किया, जो महिला उत्पीड़न व दुर्दशा को बढ़ावा देती है। वे स्त्री–पुरूष में भेदभाव के वे विरोधी थे। डा. भीमराव ने अपनी पुस्तक ''पाकिस्तान और भारत के विभाजन'' में मुस्लिम महिलाओं एवं उनकी धार्मिक परम्परा, हिजाब पहनने, उनके विवाह आदि पर विचार व्यक्त किये। डॉ. अम्बेडकर महिलाओं के प्रति चाहे वे किसी भी धर्म, जाति एवं वर्ग की हो, उनके प्रति मानवीय विचार रखत थे। उन्होंने महिलाओं के प्रति हो रहे हर तरह के अत्याचार के विरोध में आवाज उठाई।

4. अध्ययन का महत्त्व :

भारतीय समाज में स्त्रिया की दशा बदतर थी। उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं था। पुरूषों के समान स्त्रियों को अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए गांधी जी तथा डॉ. अम्बेडकर दोनों ने ही संघर्ष किया। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों को चौखट से बाहर किया और उनमें नई जागृति दिलाई वहीं डॉ. अम्बेडकर ने स्त्रियों को कानूनी प्रावधानों से वे सभी अधिकार दिलाये जो पुरूषों को प्राप्त थे। इस प्रकार वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है उसकी बुनियाद में गांधीजी तथा डॉ. अम्बेडकर के स्त्री विषयक दृष्टिकोण ही रहे है। बिहार में पंचायती राज के तहत महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, आजादी के 75वें वर्ष में महिलाओ

को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण का मिलना, गांधीजी तथा डॉ. अम्बेडकर के सपने का साकार होने जैसा है। इस कारण प्रस्तुत अध्ययन का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है।

5. अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों का निरूपण किया गया है:

(i) तत्कालीन समाज में स्त्रियों को अधिकार विहीन करने के कारणों को ढूँढ़ना।
(ii) गांधीजी के स्त्री विषयक दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालना।
(iii) डॉ. भीमराव अम्बेडकर के स्त्री विषयक दृष्टिकोणों का अध्ययन करना।
(iv) महात्मा गांधी तथा डॉ. अम्बेडकर के स्त्री विषयक दृष्टिकोणें में अंतर ज्ञात करना।
(v) गांधीजी तथा डॉ. अम्बेडकर द्वारा आधी आबादी को सशक्त करन में उनके योगदानों का रेखांकित करना।

6. परिकल्पनाओं का निरूपण :

स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय समाज में स्त्रियों को अधिकारों से वंचित कर रखा गया था। गांधीजी तथा अम्बेडकर दोनों ने ही स्त्रियो को पुरूषा के बराबर समझा और अधिकार सम्पन्न बनाने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्त्रियो को वे सारे अधिकार प्राप्त हुए जो पुरूषों को पूर्व से प्राप्त थे। इस महती कार्य में डॉ. अम्बेडकर के योगदानों को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। आज महिला सशक्तिकरण का जो स्वरूप दृष्टिकोण दिखाई देता

है उसकी बुनियाद में महात्मा गांधी तथा डॉ. अम्बेडकर के विचारों का काफी योगदान है।

7. अध्ययन की रूप रेखा :

प्रस्तुत शोध महात्मा गांधी तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर के स्त्री विषयक दृष्टिकोणों पर केन्द्रित है। दोनों का ही चिंतन स्त्री–पुरूष बराबरी का रहा है। स्त्री के प्रति भेदभाव के दोनों ही विरोधी थे। स्त्रियों को समुचित अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना ही दोनों का लक्ष्य था, जो आज महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जाता है।

8. अनुसंधान पद्धति :

प्रस्तुत शोध हेतु प्राथमिक एवं द्वैतीयक दोनों ही स्त्रोतों की सहायता ली जाएगी। ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया जाऐगा। ऐतिहासिक विकास व मानवीय प्रगति को क्रमबद्ध व व्यवस्थित करना अध्ययन के यथार्थ को निरूपित करेगा। ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण ज्ञान के नवीन आयाम को स्पष्ट करेगा। प्राथमिक श्रोत के रू॰ में महात्मा गांधी एवं डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों, आलेखों एवं भाषणों का उपयोग किया जाएगा। द्वैतीयक स्त्रोतों के संकलन हेतु स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के सेमिनार, पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय, मिथिला शोध संस्थान, कबराघाट, दरभंगा आदि से संपर्क किया जाएगा।

9. अध्यायीकरण :

अध्याय – 1 प्रस्तावना

अध्याय – 2 स्वतंत्रता के पूर्व स्त्रियों की दशा का चित्रण

अध्याय – 3 महात्मा गांधी का स्त्री विषयक दृष्टिकोण

अध्याय – 4 डॉ. भीमराव अम्बेडकर का स्त्री विषयक दृष्टिकोण

अध्याय – 5 गांधीजी तथा डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन

अध्याय – 6 उपसंहार

प्रविष्टियाँ – संदर्भ ग्रंथां की सूची

10. संदर्भ ग्रंथों की सूची :

1. सक्सेना, श्रीमती वन्दना, (2008) : गांधी, जीवन और दर्शन, बी. आर. पब्लिशर्स, जयपुर
2. जोशी, गोपा (2006) : भारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
3. गुप्ता, डॉ. कमला, (2012) : भारतीय नारी (प्रारंभ से 2000 ई0 से तक), जानकी प्रकाशन, पटना
4. शरण, देवेन्द्र कुमार (2012) : नारी सशक्तिकरण का इतिहास, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली

5. झा, मधु (2010) : गांधी नारी विषयक दृष्टिकोण, गांधी अध्ययन केन्द्र, जयपुर, राजस्थान
6. वसंत मून (सं0) (1979) : डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, राइटिंग एण्ड स्पीचेज, वो0–1, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बम्बई, महाराष्ट्र सरकार
7. जाटव, डॉ. बी. आर. (2018) : डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व, समता साहित्य सदन
8. अम्बेडकर, डॉ. बी. आर. (2019) : पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली
9. अम्बेडकर, डॉ. बी. आर. (2018) : अम्बेडकर वाङमय, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली
10. मणिकांचन (2016) : डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर विशेषांक, एमएमटीसी लिमिटेड, राजभाषा प्रभाग, कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली
11. नंदा, बी. आर. (सं0) (1976) : इंडियन वुमेन–फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली